

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर  
श्रीमति कमला व अन्य ..... बनाम नारायण व अन्य .....  
केरम मुकदमा 88,53,188 मुकदमा नम्बर 123/2007.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.1.2020	<p>श्री</p> <p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित। परोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि दिनांक 2.06.2011 को प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 22.6.2011 को नियत की गई। जिस हेतु वादी साक्ष्य हेतु कई अवसर दिए गए। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 11.4.2017 व 31.7.2017 व 19.4.2018, 8.3.2019, 7.8.2019, 6.11.2019 को वादी साक्ष्य अवसर दिये गये। दिनांक 25.11.2019 एवं 19.12.2019 को वादी साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी आज दिनांक तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 11.4.2017 व 31.7.2017 व 19.4.2018, 8.3.2019, 7.8.2019, 6.11.2019, 25.11.2019 से कई अवसर दिए जाने एवं प्रभावी आदेशिका दिनांक 19.12.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। वादीगण द्वारा लगभग 09 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत वादी अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वादपत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	